

सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन व नियोजन

(वन अधिकार कानून २००६ अंतर्गत)

बिच्छुखेडा

२०१७- २०२७



रचना :ग्रामसभा बिच्छुखेडा

तकनिकी सहयोग :खोज

आभार

वन अधिकार कानून अंतर्गत सामुहिक वन अधिकारों को मान्यता मिलना यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। परंतु असली काम तो अधिकार के आगे ग्रामसभा द्वारा सामुहिक वन संसाधनों के प्रबंधन एवं शास्वत उपयोग का है। समूचे देश में अधिकारों की मान्यता मिलने पर भी प्रबंधन-नियोजन की प्रक्रिया काफी मंद गति से आगे बढ़ रही है।

महाराष्ट्र में वर्ष 2013 से शुरुवात में यु.एन.डी.पी.(U.N.D.P.) के सहकार्य से तथा उसके पश्चात आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की पहल से अब कई गांव में प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन की प्रक्रिया चलाई जा रही। इसके तहत वर्ष 2016 से मेलघाट क्षेत्र के कुछ गांव के सामुहिक वन अधिकार प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिये व्ही.एन.सी.एस. (V.N.C.S.) के तथा आदिवासी विकास विभाग के हम आभारी हैं।

इस प्रक्रिया में खोज संस्था ने ग्रामसभा के साथ मिलकर यह प्रक्रिया चलाई और उम्मीद है, इस प्रक्रिया से सामुहिक वन अधिकारों के अमल को सही दिशा प्राप्त होगी। इस पूरी प्रक्रिया को आगे ले जाने में ग्रामसभाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ग्रामसभायें अपने अनुभव व अभ्यास के आधार पर इसमें बदलाव लाने का हक रखती हैं।

इस प्रक्रिया के साथ जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत आभार...!

अनुक्रमणिका

अ.क्र	विवरण	पान क्र
	बिच्छुरेडा एक नजर मे	४
	परिप्रेक्ष्य	५
	वन अधिकार धारको के कर्तव्य	६
	गाव का इतिहास : वन -लोकजीवन	८
	गांव समाज की स्थिती	११
	वन तथा जैव विविधता का वर्तमान स्वरूप	१३
	वन संसाधनो का इस्तेमाल : वर्तमान जरूरते	१४
	प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य	१५
	वन नियोजन की दिशा	१६
	संसाधन आरेखन पद्धती	१९
	प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया	२०
	भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)	२१
	नियम तथा दस्तावेजी नोंद	२४
	विवादों का निराकरण	२५
	परिशिष्ट : १) सुक्ष्म नियोजन	
	२) स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम	
	३) ग्रामसभा की नोटीस तथा ठराव	
	४) संक्षिप्त	

बिच्छुखेडा : एक नजर में

- तहसिल : चिखलदरा जिला - अमरावती
- कुल समुदायिक वन अधिकार क्षेत्र : 385.83 हेक्टर/आर
- कुल परिवार
- सभी परिवार सामुहिक वन अधिकार धारक है।
- मूल निवासी : आदिवासी (अनुसूचित जनजाती) तथा भटके - घुमंतु जनजाती समुदाय।
- वन संसाधन : गांव के चारो तरफ साधारण से बेहतर स्वरूप का जंगल है। साथ ही नदी-नाले जल प्रवाह भी है। पश्चिम दक्षिण मे वन्यजीव विभाग का संरक्षित व्याघ्र परियोजना क्षेत्र है।
- गांव समुदाय : कृषी मजदूरी, वनमजूरी, गौण वनोपज एकत्रित करना, रोजगार हमी के मजूरी कार्य तथा शहरी भाग में मौसमी स्थलांतरित मजूरी करने वाले समुदाय साथ ही दुग्ध उत्पादन में कुछ परिवार जुटे है। अधिकतर वनों पर आश्रीत जीवन होने से अपनी आजिविका को बेहतर करने के लिए, वन संरक्षण-संवर्धन करने हेतू इच्छुक।

2. परिप्रेक्ष्य

वन अधिकार कानून 2006 में सामुहिक वन अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) कानून 2006 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मान्य किया गया। कानून की धारा (3) अंतर्गत सामुहिक वन अधिकार से जुड़े निम्न प्रावधानों को मान्य किया गया है।

3 (1) ख : सामुदायिक अधिकार, जैसे की, निस्तार अथवा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिनके अंतर्गत तत्कालिन राजाओं के राज्यों, जमीनदारों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित है।

3 (1) ग : गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहुँच, उनका उपयोग और व्ययन (Dispose)का अधिकार रहा है।

3 (1) घ : यायावरी या चारागाही समुदायों को मस्त्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमंतू दोनों) उपयोग या उनपर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के अन्य सामुदायिक अधिकार।

3 (1) झ : ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसका वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षण कर रहे हैं।

3 (1) ट : जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।

अधिकार धारकों को संरक्षा हेतु निर्वाह करने वाले कर्तव्यों के बावद कानून के भाग 5 में निम्न प्रावधान किये गये हैं।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहाँ इस अधिनियम के अधिन किन्ही वन अधिकारों के धारक है, ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए सशक्त है.

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, लगा हुआ जलागाम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य परिस्थितिकिय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासीयों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों (निर्णयों) का पालन किया जाता है।

इस कानून के 14 वे भाग में, केंद्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों पर अमल होने के लिए आगे नियम बनाये है।

अनुसूचित जनजाती तथा परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 यह 1 ली जनवरी 2008 से लागू हुए। नियम 4 में ग्रामसभा के कृत्यमें दर्शाया गया है, अनुसार 4 (1)(ई) की समिती स्थापित करना जो अपने सदस्यों द्वारा इस कानून के भाग 5 के प्रावधानों को आगे चलाने हेतू वन्यजीव, वन तथा जैवविविधता की संरक्षा के लिए कार्य करें।

06/02/2012 को इस नियम में भारत सरकार ने संशोधन किया है। और इसे अब अनुसूचित जनजाती तथा पारंपारीक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) संशोधित नियम 2012 कहलाता है।

4 (1) फ : को बदल कर 4 (1)(ई) कर दिया है जो निचे दिये अनुसार है।

4 (1) : नियम 4 (1) ड: या 4 (1)(ई) अंतर्गत बनी समिती पर उचित देखरेख तथा नियंत्रण करना ताकि वह अपने वन संवर्धन और व्यवस्थापन का नियोजन बना सकें जिससे सामुदायिक संसाधनों का समान और चिरस्थायी व्यवस्थापन आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वन निवासीयों के लिए कर सके और अपने व्यवस्थापन नियोजन (Management Plan) को वनविभाग के सूक्ष्म नियोजन या कार्ययोजना में समिती द्वारा यथा उचित माने सुझावों के साथ उसको अंतर्भूत करें।

इस के तहत गठीत की गई समिती ही प्रबंधन-नियोजन का खाका तयार करेगी।

गांव का इतिहास : वन - लोकजीवन

गांव बिच्छुखेडा तहसील चिखलदरा जिला अमरावती, यह मेलघाट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र के बफर झोन में कोअर सीमा के नजदिक मेलघाट के पुर्वोत्तर हिस्से में बसा, आदिवासी (अनुसूचित जनजाती) का छोटा सा गांव है।

खडीमाल गट ग्राम पंचायत के अंतर्गत आनेवाले बिच्छुखेडा के उत्तर में खेत तथा नवलगाव, पूर्व में खेत, खापरा नदी तथा चुनखडी गांव, दक्षिण में जंगल, वन्यजीव क्षेत्र तथा सेमाडोह रस्ता, पश्चिम में वन-वन्यजीव क्षेत्र, नदी तथा माडीझडप रास्ता है।

अनुसूचित जनजाती तथा अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता कानून 2006 तथा नियम 2008 के तहत, बिच्छुखेडा गांव की ग्रामसभा ने अपने गांव के आस-पास के जंगलों में पिढीयों से इस्तेमाल करते आ रहे आजीविका के अधिकार जिसमें इन जंगलों में प्राप्त होने वाले, कंद, मूल, फल, पत्ते आदि गौण वनोपज इकट्ठा करना, इस्तेमाल करना, विक्रय करना, साथ ही सभी प्रकार के जल स्रोत के जल संसाधन, जलचर एवं लघु खनीज साथ ही पूरे जंगल क्षेत्र की देखभाल, सुरक्षा, प्रबंधन-नियोजन तथा चिरंतन रूप से इस्तेमाल करने का सामूहिक हक दावा प्रस्तावित किया जो प्रक्रिया पूर्ण हो कर सरकार की ओर से वनखंड क्र. 207/209/210 तथा 291 ऐसे चार कम्पार्टमेंट के कुल 385.83 हे. क्षेत्र के रूप में मंजूर हुआ।

बिच्छुखेडा यह गांव लगभग 50 वर्ष के दरम्यान बसा होने का अनुमान गांव के लोग बताते हैं। यहाँ अधिकतर परिवार चुनखडी गांव जो कि, खडीमाल गट ग्राम-पंचायत का ही गांव है, से आ कर बसे हैं। बढ़ते परिवार की आजीविका संबंधी जरूरतों तथा घने वन-पहाडी क्षेत्र में कृषी कार्य हेतु समतल जमीन इस भाग में नजर आने से यहाँ गांव बसाया गया। पूर्व समय में लोग वनों पर अधिक निर्भर थे तब यहाँ के समृद्ध वनों से कंद-मूल फल प्राप्त करना साथ ही शिकार करना इन परिवारों के जीवन-यापन का एक प्रमुख भाग था। साथ ही परंपरागत

रूप से खेती जोत करना जिसमें, धान, जवारी, तुवर, मका, जगनी, तील जैसे अनाज, दलहन लिए जाते थे साथ ही कम प्रमाण में काली मिट्टी के भागों पर गेहूँ, चना, मसूर रबी की फसले तथा मुरुमाड, लाल मिट्टी के भागों में घास वर्ग के अनाज कोदो, कुटकी, सावा, रालगा आदि बोया जाता था। आर्थिक कमाई का जरिया लघु वनोपज जिसमें, चारोली, महुआ फूल, टोली, आवला, बेहडा, हिरडा, गोंद, लेंझा की छाल, एकत्रित कर बाहरी व्यापारीयों को बेचा जाता था। पूर्व में यह वनग्राम था अतः यहाँ की व्यवस्था वन विभाग देखा करता था। वन विभाग के माध्यम से जंगल के रास्ते बनाना, सागवान पेड कटाई, बांस कटाई तथा रोपवन लगाना जैसे मजदूरी के कार्य कर इन्हे कुछ कमाई प्राप्त होती थी। बदलते समय के अनुसार नए कानून लागू हुए, वन्यजीव संरक्षण कायदे से शिकार बंद हो गई तथा बाघ संरक्षित क्षेत्र होने से कई कार्य जैसे वन-कटाई बंद हो जाने से मजदूरी कार्य कम हो गये।

खेती में भी बदलाव हुए पिछले दो दशक से कृषि फसलों में लोग सोयाबीन, हायब्रीड तथा जवारी बड़े पैमाने पर लगाते हैं, जिससे नगद उत्पन्न मिलता है। परंतु अब इनका उत्पादन कम प्रमाण में मिलने तथा बढ़ती जनसंख्या परिवार की जरूरतों के लिए गांव के मजदूर स्त्री-पुरुष परिवार गांव से दूर शहरों में रोजगार मजदूरी के लिए स्थलांतरण करते हैं। बाहर मौसमी कामों में शहरी भाग के खेतों में फसल कटाई के काम, सड़क रास्तों के काम, मील-कारखानों में मजदूरी हमाली, नालीयाँ खोदना, ईंट बनाना जैसे काम अधिकांश रूप से किए जाते हैं।

अपने जंगल का उत्पादन बढ़ाना, गांव में खेत के कार्य बेहतर करना, जलस्तर बढ़ाना, आदि के जरिए गांव में रोजगार आजीविका प्राप्त करना आज इनके लिए जरूरी कार्य है।

बिच्छुखेडा का भौगोलिक स्वरूप : बिच्छुखेडा गांव मेलघाट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र के बफर झोन में है। इस गांव के चारो ओर पहाडी क्षेत्र है।

भू-संरचना : पथरिले, कंकर, मुरुमाड स्वरूप का लाल-भूरे रंग की मिट्टी का अधिकांश भाग है बीच में गांव के चारो तरफ काली-बालुयुक्त मिट्टी का भी भाग है जहाँ खेती की जाती है।

वन : काफी वर्षो पूर्व वन-कटाई, नए रोपवन के कार्य किए गये अतः सागवान का वन नजर आता है। साथ ही स्थानिक प्रजाती के वृक्ष-पेडों का भी वन है जहाँ कई प्रकार के झुड़प-बेले-लताएँ हैं। लघु-वनोपज से लोगों की आजीविका का आधार बढ़ाने की दृष्टी से उजाड़ क्षेत्रों में तथा खुले भू-भाग में वन-रोपवन किया जाना चाहिये।

जल क्षेत्र: गांव के चारो ओर छोटे-बड़े जल प्रवाह, नाले तथा खापरा नदी है। वर्षा भरपूर हो कर भी तिब्र उतार क्षेत्र की वजह पानी बह जाने से धूपकाले में पानी का अभाव जंगल, वनस्पती, पशु-पक्षी तथा पालतू मवेशी को साथ ही गांव वासीयों को भी होता है। यहाँ पानी की रोकथाम के उपाय करना जरूरी है।

मौसम : वर्षा, शित तथा गरमी तीनों ही मौसम का यहाँ बेहतर प्रभाव रहता है। ज्यादा बारीश, ज्यादा ठंड तथा काफी गरम धूपकाल होता है।

गांव समाज की स्थिति

गांव बिच्छुखेडा की ग्रामसभा ने अपने सामूहिक वन अधिकार, के तहत प्राप्त इस वनक्षेत्र वन-संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन विकास एवं इस्तेमाल के लिए, प्रबंधन-नियोजन आराखडा बनाने की प्रक्रिया 'खोज' संस्था के मार्गदर्शन में शुरू की। इस प्रबंधन नियोजन की प्रक्रिया में गांव बिच्छुखेडा ग्रामसभा में निश्चित किए मुताबिक प्राप्त वन क्षेत्र के 2% जंगल क्षेत्र की नमूना स्वरूप पेड-वृक्ष गणना करना, अन्य वन संसाधनों वन्य-प्राणी, पक्षी मिट्टी खेती आदि की जानकारी इकट्ठा करने का कार्यक्रम गांव के युवक, महीला तथा जानकार व्यक्तियों के साथ, 'खोज' संस्था की विशेषज्ञ टीम ने तय किया। साथ ही पूरे गांव की पारिवारिक जानकारी पढाई, शाला, अंगणवाडी, बच्चे, आरोग्य, खेती एवं सुविधा-उपलब्धता की सर्वेक्षण द्वारा जानकारी एकत्रित की गई। कुल परीवार संख्या। जिनमें आदिवासी परिवार कोरकु तथा, परिवार गोंड जनजाती के है अन्य मे परिवार है।

बिच्छुखेडा गांव समुदाय से चर्चा में गांव के लोगो ने बताया कि, अब से लगभग 50 वर्ष पहले यहाँ सिर्फ तीन घर आ कर बसे थे जिनमे...

- 1) खडीमाल से गानू सानू सावलकर
- 2) बगदरी से चैतू मंगल धुर्वे तथा
- 3) चुनखडी से सोमा मर्चींग बैठेकर इन्होने यहाँ खेती शुरू कर गाँव बसाया बाद धिरे-धिरे अन्य परिवार भी बुजुर्ग चैतु धुर्वे जी बताते है कि, इस भग में जहाँ तहाँ बिच्छु नजर आते थे। कुछ जगह काफी संख्या में एक ही जगह पर बिच्छु रहते थे। उनसे सुरक्षा के उपाय लोगो ने किए साथ ही उस पिढी के लोग बिच्छु का जहर उतारने का जडी-बुडी द्वारा इलाज की जहर समझ रखते थे। पहले यह वनग्राम तथा बाद में महसूली ग्राम के रूप में भी चुनखडी का जोड गांव ही माना जाता था। वर्षमें इसे स्वतंत्र गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

- 1) गांव सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी में नजर आया गांव की कुल जनसंख्या 273 स्त्री 128 तथा पुरुष 145 है। शाला में शिक्षण प्राप्त स्त्री 25 पुरुष 30 है। खेती किसानी करने वाले 14 कास्तकार है, जो 35.06 हेक्टर खेत जमीन जोतते

है। अंगणवाडी केन्द्र में लाभार्थी संख्या लड़कीयाँ 11 लड़के 09 है। पुरुष 80 महीलाएँ 70 मजदूरी पर निर्भर है।

गांव में खेती कार्य का मौसम जून से नवम्बर तक रहता है। इसबीच अपने खेतों का काम निपटा कर दूर शहरी इलाकों में खेतमजदूरी, फसल कटाई आदि काम के लिए अधिकांश लोग मौसमी स्थलांतरण करते है। मार्च मे रब्बी की फसल लेने के उपरांत लगभग 10 मजदूर परिवार शहरी भागों में विभिन्न मजदूरी कार्य जिनमें इमारत, सड़के बनाना, नाली खोदकाम, कारखाने/मिलों में मजदूरी-हमाली तथा ईंट भट्टी पर काम करने जाते है।

गांव समुदाय के सभी लोग परिवार अपने रिती-रिवाज, परंपरा के अनुसार सभी प्रकार के त्योहार-उत्सव मनाते है। जिनमें प्रमुखता से होली-फागुन, दूधबोली-भवई, अखाडी, जिरोती, पोला, मातापूजन, दसरा पूजा, खेती-फसल तथा नदी-नालों की पूजा तथा निसर्ग क्षेत्र में स्थापित अन्य मान्य देवी-देवता के श्रद्धा स्थानों पर पूजा-पाठ किया जाता है। शादी-विवाह आदिवासी रिती रिवाज परंपरा के अनुसार किया जाता है। विशेष कार्यक्रमों के नृत्य-गीत सामूहिक रूप से पारंपारिक वाद्य, ढोल-बासुरी के ताल पर किया जाता है। जिनमें शादि-विवाह, होली, डंडा, अखाडी-जिरोती, मे सुसुन-गाडुली के नृत्य गीत उसी प्रकार डोलार (सावन का झुला) गीत तथा देवी-माता दसरा पूजा की प्रथा परंपरा के गीत होते है।

गांव की सुविधा में देखे तब पता चलता है कि, गांव में बाल विकास हेतू सरकारी अंगणवाडी केंद्र है। जहाँ 0 से 6 वर्ष के कुल 20 लाभार्थी बालक लाभ लेते है। किशोरीयों की संख्या 22 है। पढाई के लिए जि. प. की प्राथमिक शाला है जहाँ केवल 01 बच्ची पढाई कर रही है। अन्य सभी बच्चे दूर के आदिवासी विकास विभाग/संस्था के आश्रमशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। गांव में सरकारी उचित मुल्य की रेशन दुकान है। गांव में पेय जल हेतू सौर उर्जा चलीत नल योजना है। वन्य जीव-संरक्षित क्षेत्र में होने की वजह से गांव में इलेक्ट्रीक लाईन (बिजली) नहीं है। गांव के लिए आरोग्य खडीमाल का उपकेंद्र है तथा चुनखडी में प्राथमिक आरोग्य घटक है जहाँ से जरूरी वैद्यकिय सेवा मिलती है।

वन तथा जैवविविधता का वर्तमान स्वरूप

वन संपत्ती की गणना (Stock Mapping) करने के लिए प्रथम टीम बनाई गई जिनमें 'खोज' संस्था के तज्ञ कार्यकर्ता तथा बिछुखेडा के युवा साथी एकत्रित आए जिन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। प्रथम साहित्य जुटाए गये जिसमें गांव का वन अधिकार प्राप्त क्षेत्र का प्रमाणपत्र, वनविभाग का नकाशा, आलेख पेपर, ट्रेस पेपर, रजिस्टर, कोरे कागज, रेखावाले कागज, कार्बन, फाईल, स्केल, रबर, पेन्सील शार्पनर, 100मी. रस्सी, कैमेरा, जि. पी. एस मशिन, मोजमाप टेप, चुना, रंग-पेन्ट टर्पेन्टाईन, ब्रश, आदि सभी सामान साथ लिए गये।

वन विभाग के नकाशे के आधार पर अंतर-स्केल तय कर, आलेख पेपर पर बड़ा नकाशा बनाया गया तथा मिटर-स्केल-अंतर तय-कर 100मी. X 100मी. के चौकोण रेखांकित किए गये। तथा उसे अनुक्रमांक दिए गये। पूरे वन क्षेत्र का 2% नमुना क्षेत्र चुन कर गणना (स्टॉक मैपिंग) करने के लिए चौकोन चुने गये जो वनखंड क्र. 209 में चौकोन क्र. 40,76,120, 185- तथा वनखंड क्र. 210 में चौकोन क्र. 50,120,260.

प्रत्यक्ष जंगल में जा कर चौकोन क्रमांक अनुसार क्षेत्र चुनकर 100X100 मीटर के चौकोन जी. पी. एस. रिडिंग अक्षांश-रेखांश निश्चित किया गया। तथा उसका मोजमाप टेप, रस्सी लगाकर सीमा निश्चित की गई। वहा के सभी पेड जिनकी सीने के उचाई पर गोलाई-घेर 15 से. मी. से कम तथा 15 से. मी. से अधिक है की अलग-अलग मोजमाप गिनती कर रजिस्टर में नोंद ली गई जो साथ जोड गये तालीका में देख सकते है।

स्टॉक मैपिंग गांध :- बिच्छुखंडा ता. चिखलदरा गणना की तारीख																									
सामुहिक धन अधिकार प्राप्त धनखंड क्र. 209 / 210 के 100मी. X100मी चौकोन नकाशा के 2% नमूना क्षेत्र से गये चौकोन क्षेत्र के घुंसे की गणना																									
	धनखंड क्र	209								एकुल 209		210								एकुल 210					
अ.न	घेठ / घुंसे के नाम	चौकोन क्र.40	चौकोन क्र.76	चौकोन क्र.120	चौकोन क्र.185	चौकोन क्र.	चौकोन क्र.50	चौकोन क्र.120	चौकोन क्र.260	चौकोन क्र.	एकुल	Total	Average												
		जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	जोटे	बडे	एकुल	समान्यता		
1	सागवान	28	33	58	38	59	66	18	60	163	197	59	66	53	76	56	74	168	216						
2	बाघडा	23	11	0	15	42	11	0	0	65	37				12	14	23	14	35						
4	टेकरा	33	20	39	12	0	0	78	12	150	44	24	10			28	12	52	22						
5	जादना	22	16	0	36	0	0	0	10	22	58				30		9		39						
6	महुआ	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10						18		18						
7	हरदु	17	17	0	23	0	0	0	0	17	40														
8	अमलतास	33	10	18	17	44	9	17	12	112	48	54	13			33	18	87	31						
9	बोलाई					6				6							9	28	9						
10	भुईनी	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22														
11	कुंभी					0		0							4				4						
12	जायला	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5				5	13			5	13					
13	बेल																5	12	5	12					
14	बारू	27	7						12	27	19				9	12			9						
17	कुसुंबी								9	9									14						
19	खुसी																14		11						
20	काकाडा									6						5									
21	भुवारी	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	18	25						18	25					
22	पल्लव								10	0	10	8	9	34	4				42						
23	लियल	13	15						13	13	28														
24	सालई				12						12														
25	जामुन								8	5	8														
26	बट								5	5															
27	चिखनडा											47	10						47	10					
28	टेकराच					13	12			13	12						13	12	12	13					
29	फारी																13	9	13	9					
30	बेहडा																								
31	बर					2				2															
		196	129	115	178	208	106	113	161	637	576	210	133												

वन संसाधनों का इस्तेमाल : वर्तमान जरूरतें

ग्रामसभा बिच्छुखेडा में चर्चा में आए मुद्दे : सामुहीक वन संसाधनों से आज की गांव की जरूरतें :

- 1) चराई क्षेत्र : गांव के पालतू जानवरों के लिए चराई हेतू चारागाह निश्चित करना तथा विकसीत करना।
- 2) इंधन : अ) दैनिक इस्तेमाल हेतू इंधन प्राप्त सूखे टेढ़े-खराब वृक्षों की कटाई छांटई कर इंधन के लिए इस्तेमाल तथा खाली जगह पर नए वृक्ष रोपण करना।
ब) गांव परिवार लाभार्थियों को सरकारी योजना से रसोई गैस (LPG) मिलाने (की व्यवस्था) का प्रबंध करना।
- 3) आजीविका : वनों से कंद-मूल फल प्राप्त करना।
- 4) लघुवनोपज : उत्पन्न प्राप्ति हेतू वनों से आवला, बेहड़ा, हिरड़ा, गोंद, चारोली, महुआ, टोली, टेमरू, जामुन आदि प्राप्त करना।
- 5) तैयार हो चुके बाँस की कटाई एवं बिक्री तथा नए बाँस रोपवन लगाना।
- 6) जल संसाधन : (अ) जल संग्रह करना तथा सिंचाई में उपयोग करना।
(ब) मछली, खेकड़े आदि प्राप्त करना।
- 7) पेड़-लकड़ी : (अ) घर बांधने एवं दुरुस्ती के लिए जरूरी लकड़ीयाँ एवं बांस
(ब) खेती के लिए गाड़ी, साधन नांगर, बखर, डवरा आदि के लिए उपयुक्त लकड़ीयाँ।

जंगल क्षेत्र बिच्छुखेडा के लिए नजर आने वाले खतरे :

- 1) जंगल में लगने वाली आग। (आग से वनों को बचाना)
- 2) बाहरी वन तस्क़र तथा शिकार करने वाले। (सुरक्षा का उपाय करना)

प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य

- i) वन अधिकार कानून के नियम 5 में दशायेनुसार कर्तव्यों का निर्वाह करना।
- ii) मृदा एवं जलसंधारण क्षेत्र विकास कार्य पद्धती के अनुसार सामुहिक वन अधिकार के निर्दिष्ट वन क्षेत्र में मिट्टी एवं जल धारण क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करना।
- iii) जहाँ पर भी संभव हो, वनीकरण तथा वनों के पुनःनिर्माण कार्य शुरू करना जो वनों की गुणवत्ता तथा आजीवीका को प्रभावित करने वाली उन्नती की दिशा में हो।
- iv) क्षेत्र में नैसर्गिक पुर्ननिर्माण के कार्य चलाना, जो अच्छी नैसर्गिक बढत दिखा सके।
- v) लघु वनोपजों के, परिणामकारक संरक्षण, पुनरुनिर्माण एवं प्रबंधन तथा निरंतर उत्पाद मिलने वाले कार्यों को सुनिश्चित करें।
- vi) लोगों के चिरंतन रूप से आजीवीका के साधन इस्तेमाल करते हुए वन संसाधनों का दिर्घ कालीन रूप से संवर्धन कार्य भी बढते रहे यह सुनिश्चित करना।
- vii) यह भी सुनिश्चित करना की गांव में रहने वालों को आजीवीका के स्रोतो का पूरे साल भर उपयुक्त उपलब्धता रहे।
- viii) वनो को आग, अतिचराई, तथा चोरीसे सुरक्षित रखना।
- ix) लोग-वन-वन्यजीव के सह अस्तित्व के तत्वों को पुनःस्थापित करना।
- x) सामुदाय वन प्रबंधन के नियम एवं तत्वों को संस्थान में ढालना।

वन - नियोजन की दिशा

वन संरक्षण : सामूहिक वन अधिकार प्राप्त वन क्षेत्र के संरक्षण की दृष्टी से ग्रामसभा अपने वनों को आग से बचाना, अवैध रूप से चराई एवं वनसंपत्ती की चोरी ना हो इस बाबद उपाययोजना करेगी। इसी तरह बाहरी तस्कर-शिकारीयों से वन-वन्यजीव की सुरक्षा के उपाय गांव समुदाय के नियोजन से करेगी। जहाँ आवश्यकता हो, सरकारी विभाग, वन, वन्यजीव, पुलिस की मदद ली जाएगी।

मुख्य वनोपज का प्रबंधन : मेलघाट क्षेत्र का मुख्य वनोपज सागवान है। ग्राम समुदाय को अपने खेती कार्य के औजार-साधन बनाना, निवास घर, मवेशी के लिए कोठा, घर दुरुस्ती आदि कार्य के लिए मुख्य रूप से सागवान की जरूरत होती है। इसके विकल्प के रूप में लोगों ने स्वयं अथवा सरकारी योजना से लोहे की साधन-सामुग्री का उपयोग शुरू किया है, साथ ही आगे वनों की वृद्धी-संरक्षण की दृष्टी से इन्ही तथा अन्य विकल्प साधन उपयोग में लाने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। तथा मुख्य वनोपज का उत्पाद, इस्तेमाल, संकलन तथा व्यवस्थापन/प्रबंधन की व्यवस्था वैज्ञानिक पर्यावरणपूरक दृष्टी से संबंधित विशेषज्ञ एवं सरकार, वन-विभाग के साथ मिलकर ग्रामसभा समय-समय पर सुनिश्चित करेगी।

जैव-विविधता : गांव की ग्रामसभा अपने वन अधिकार क्षेत्र के सभी प्रकार के वन, वन्यजीव, साधन-संपत्ती, प्रजातीयों का जैव विविधता अध्ययन तथा दस्तावेजीकरण, विशेषज्ञ टीम के साथ करेगी। इस जैव विविधता रजीस्टर के अनुसार भविष्य के साधन-संपत्ती जतन एवं संवर्धन की दिशा-कार्य तय किए जाएँगे।

इंधन : ग्राम समुदाय की इंधन की जरूरत जंगल से लकड़ीयाँ इकट्ठा कर मुख्य रूप से की जाती है। कुछ प्रमाण में लोग रसोई गॅस (L.P.G)का इस्तेमाल कर रहे है। आगे सरकारी योजना से इस विकल्प को बढ़ावा दे कर वनों का भार कम किया जाएगा। वनों में सूखे-टूटे वृक्ष पेड़ों की टहनीयाँ, खराब-टेढ़े-मेढ़े एवं बीमार

वृक्षों को वनों की सफाई में निकाला जाएगा तथा ग्राम समुदाय को इसका वितरण ग्रामसभा के ठराव नियोजन अनुसार किया जाएगा।

चारे का प्रबंधन : गांव समुदाय के पालतु पशुओं की जरूरत तथा दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम के अनुरूप वन क्षेत्र में चारा वृद्धि, नए उन्नत किस्म की घास का प्लॉन्टेशन किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त वनक्षेत्र के भाग का चयन कर वहाँ चराई बंदी कर उत्पाद लिए घास-चारे का वितरण वाटप ग्रामसभा निश्चित करेगी। साथ ही चराई हेतु खुला क्षेत्र भी निर्धारित कर नियोजित चराई करना तय किया जाएगा।

बांस का उत्पादन : ग्रामसभा अपने नियोजित क्षेत्र में बांस के रोपवन लगाने-बढ़ाने तथा उसके उपचार कार्य योग्य मार्गदर्शन से करेगी तथा समय अनुसार उसका संकलन, लोगों की जरूरत अनुसार वितरण, विक्रय का कार्यक्रम बनाएगी तथा संचालित करेगी।

लघु-वनोपज : गांव के सामुहिक वन अधिकार क्षेत्र के लघु-वनोपज का प्रबंधन, जिसमें नए मिश्र-प्रजाती के रोपवन लगाना, उनका संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पाद संकलन तथा उसका इस्तेमाल एवं विक्रय ग्राम समुदाय की जरूरतों के अनुसार ग्रामसभा चर्चा कर निश्चित करेगी तथा नियोजन अनुसार प्रबंधन किया जाएगा।

संसाधन - आरेखन की पद्धति

प्रबंधन नियोजन का साहस पूर्ण कदम उठाने से पूर्व क्षेत्र के वन संसाधनों की वर्तमान स्थिती उपलब्धता, अस्तित्व तथा अंतर (फर्क) एवं जरूरतों की समझ बनाना जरूरी था। वन संसाधनों की गिनती - यादी बनाने की प्रक्रीया चलानें हेतु निम्न तरीके चलाये गये :

- * समूहिक वन - अधिकार के क्षेत्र का सीमांकन स्थानिय वन - अधिकारीयों की सहायता से सुनिश्चित किया गया।
- * ग्राफ पेपर पर क्षेत्र का मानचित्र प्रति 1 हेक्टेअर के विभाजीत स्वरूप में दर्शाये जाने के रूप में रेखांकित किया।
- * 2 % नमुने की पहचान का सुनिश्चितीकरण सुनियोजीत नमुनाकरण एवं चतुर्थास क्षेत्र के आधार पर तय किया जिससे पूरा क्षेत्र गणन प्रक्रीया में शामिल किया जा सकें। यह चतुर्थास क्षेत्र के जमीन पर रेखांकित कर गिनती की प्रक्रिया पूरी की गई।
- * जी.पी.एस. द्वारा निर्धारित चतुर्थाश क्षेत्र की सीमाओं को तात्कालिक रूप से पत्थर आदि रखकर चिन्हीत किया जिससे चारों चतुर्थास क्षेत्र का सिमांकन आसान हो। प्रत्येक पेड को रंगो द्वारा चिन्हीत किया गया ताकी गणना में उसे दोबारा न गिना जाए। इस प्रक्रीया में ग्राम सभा द्वारा तय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्रों का प्रबंधन नियोजन वन अधिकार कानून के तहत ग्रामसभाओं को करना है। देश में अधिकार प्राप्त करने के बाद कुछ ग्रामसभायें इस जिम्मेदारी को निभाने में अग्रसर हो रही हैं। बहुत लंबे समय तक वनों के प्रबंधन में समुदायों की कोई भूमिका नहीं रही। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार कानून (पेसा) तो था परंतु राज्य में नियमों के नहीं होने से जो अधिकारों के लिये जुट पाये, उन्हीं तक यह सीमित रह गये। सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता के पश्चात वन प्रबंधन में समूहों की सहभागिता का परंपरागत इतिहास पुनर्जीवित करने का प्रयत्न अब अधिक सुलझे और सुस्पष्ट नियम एवं तत्व होने के कारण मुमकिन हो रहा है। निम्न दर्शाये पद्धतीसे प्रबंधन नियोजन की यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

- ग्रामसभा के साथ परिचर्चा तथा अनुबंध के आधार पर नियोजन तयार करने का कार्य स्थानिय संघटनाओं के सहायता से किया जाएगा।
- गांव से 4 (1)(ई) के तहत बनी समिती सदस्यों का क्षमता वर्धन किया जाएगा।
- सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त अन्य इलाको में उनके प्रयत्नों एवं सीख को समझाने के लिये अभ्यास/मुलाकातों का नियोजन।
- गांव से संबंधित नक्शो एवं दस्तावेजो का संकलन।
- सीमाओं का चिन्हीत सुनिश्चितीकरण।
- 0 - 2 % नमुना क्षेत्र के साधनों का अनुसूचिकरण।
- SMCकार्य आयोजना हेतू सर्वेक्षण एवं नियोजन तयार करना।
- स्थानिय जैव विविधता सूचिबद्ध करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना।
- लिखीत-प्रबंधन नियोजन प्रस्ताव दस्तावेज तयार करना।
- ग्रामसभा के साथ उनकी प्रतिक्रिया सुझाव जानने हेतू जानकारी चर्चा साझा करना।
- मुख्य वन संरक्षक, परियोजना अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिलाधिकारी के साथ-सभी शासकिय विभाग की योजनाओं का एककेंद्री कार्यक्रम बनने हेतू चर्चा कर अंतिम नियोजन करना।

भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)

ग्रामसभा बिच्छुखेडा की बैठक दि.27/05/2018 को श्री.झोंगरे बिसराम बेठेकर इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई इस इस बैठक में गांव बिच्छुखेडा को प्राप्त सामुहिक वन तथा वनक्षेत्र एवं वन संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जिवन, वृक्षारोपन, चिरंतन इस्तेमाल करते हुए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन-नियोजन में निम्न प्रकार के कार्य करना प्रस्तावित किया गया।

वनों में किए जाने योग्य कार्य :

मिश्र प्रजाती के वृक्ष रोपवन लगाना : गांव समुदाय की जरूरतों के अनुरूप स्थानिय प्रजातियों के पेड़-पौधों के नए रोपवन बनाना जिसमें आवला बेहडा,हिरडा, बारू, जामुन, तिवस, महुआ, चारोली बेल, अमलतास आदि प्रमुखतासे लगाए जाए।

जल संधारण के कार्य : भू-जल स्तर बढ़ाने तथा वनों की बेहतर वृद्धि हेतु पानी मिल सके साथ ही जल संसाधनों से मछली आदि प्राप्त कर आजीविकामें सहायता हो ऐसे सभी प्रकार के कार्य जिनमें

- 1) सी. सी. टी. / डी. सी. टी. / वॉट के कार्य 20 हेक्टर
- 2) दगड़ी (पत्थर) बांध, मिट्टी-मुरम के बाँध 15 हेक्टर
- 3) जाली के बांध 200 स्थानों पर
- 4) सिमेंट बंधारा : अ) कम्पार्टमेन्ट क्र. 206 में 2 बंधारे
ब) कम्पार्टमेन्ट क्र. 210 में 2 बंधारे

5) वन तालाब

6) पुराने पाझर तालाब के निचले भाग में सामूहिक कुआं बनाना।

7) वनक्षेत्र तथा कृषी क्षेत्र मिलाकर कुल 12 स्थानों पर सिमेंट प्लग बनाना।

8) मुंडा आंबे स्थान पर जानवरों के लिए पानी हेतु कुआ बनाना।

- रायमुनिया उच्चाटन : नए रोपवन लगाने हेतु रायमुनिया (Lantana) उच्चाटन करना।

- वन संवर्धन एवं विकास हेतु नियमावली बनाना। जिसमें :

वनों को आग से बचाने अवैध वृक्षतोड़ रोकने तथा चारागाह का नियमन करने बाबद कायदे होंगे।

नियम भंग करने पर दंड-शिक्षा का प्रावधान करना।

गांव समुदाय को वन संरक्षण तथा अपने कानून के बाबद जागरूक करना।

आस-पास के गांव-ग्रामसभा को अपने नियम की जानकारी देना।

बाहरी वन तस्कर तथा शिकारी पर देखरेख तथा जरूरत के मुताबिक संबंधित वन-वन्यजीव तथा पुलिस विभाग की मदद लेना।

गांव विकास के अन्य कार्य

खेती के कार्य :

- 1) शेततळे (Farm Pond)
- 2) खेती के घुरा बांध
- 3) कुआ (सिंचाई)
- 4) सिंचन साधन
सौर सिंचन संच
डिजेल पम्प
- 5) खेती के पोहच रस्ते
- 6) तालाब का गाल निकालना
- 7) किसानों के खेत में बोअर वेल

ग्रामसभा दि. 27/05/2018 में चर्चा द्वारा नए जोड़े गये प्रस्तावित कार्य :

सिमेन्ट बंधारा:

कम्पार्टमेन्ट क्र. 206 में 2 बंधारे.

कम्पार्टमेन्ट क्र. 210 में 2 बंधारे.

पुराने पाझर तालाब के निचले भाग में सामूहिक कुआँ बनाना।

वनक्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र मिलाकर कुल 12 स्थानों पर सिमेन्ट प्लग बनाना।

मुंडा आंबे स्थान पर जानवरों के लिए पानी हेतु कुआ बनाना।

किसानों के खेत में बोअर वेल 14 किसान

गाव समुदाय की जरूरतों के लिए प्रस्तावित योजना

- 1) घरकुल योजना जिन लाभार्थी परिवार को नहीं मिली है, उन सभी को घरकुल।
- 2) सभी जरूरतमंद लाभार्थी परिवारों को रसोई गैस (LPG)



नियम तथा दस्तावेजी नोंद

‘ग्रामसभा’ यह गांव में निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है जिसमें गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग, सदस्य के रूप में समाविष्ट हैं।

सभी निर्णय जो नितिगत एवं कार्य क्रियान्वयन से संबंधित हैं। ग्रामसभा में लिए जाएंगे। ग्रामसभा द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी, वन अधिकार कानून के भाग-5 के तहत ग्रामसभा द्वारा गठित विभाग 4 (1)(ई) की समिति पर रहेगी या अन्य समितियाँ जिन्हें ग्राम सभा चुनेगी, वे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।

- ग्रामसभा का संयुक्त रूप से बैंक खाता रहेगा जिसे 4 (1) (ई) की समिति के कार्य प्रबंध करने वाले सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा। बैंक खाता संचालित करने वाले स्वाक्षरीकर्ता में कम - से कम एक शिक्षित महिला सदस्य रहेगी।
- आवश्यकता होने पर सरकारी निधि के लिये ग्रामसभा का एक सरकारी खाता भी होगा जिसे 4 (1)(ई) के सदस्य तथा सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य द्वारा संचालित किया जायेगा।
- ग्रामसभा प्रति माह कम से कम एक बैठक संपन्न करेगी। इसके अलावा वे जब भी जरूरी समझे अधिक बार सभा करेगी। किसी भी आपात्कालीन परिस्थिति में ग्रामसभा 24 घंटे पूर्व सूचना देकर बुलाई जाएगी, जो नोटीस तथा दवांड़ी दोनों स्वरूप में सूचित करेगी।
- ग्रामसभा की बैठक उपर दर्शायी समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित की जाएगी अथवा ग्रामसभा के कम से कम 25 सदस्यों की मांग होने पर ग्रामसभा बुलाई जाएगी।
- ग्रामसभा का अपना कार्यालय होगा, जिसमें सामुहिक वन अधिकार से संबंधित रजिस्टर, रेकॉर्ड, दस्तावेज नियमित जानकारी को पूर्ण रखते हुए बैंक की किताबें, पासबुक तथा अन्य इससे संबंधित दस्तावेज रखे जाएंगे।
- ऑडिट (लेखा परिक्षण) के वित्तीय पद्धतियों के अनुसार ग्रामसभा प्रतिवर्ष अपने हिसाब का ऑडिट कराएगी।

विवादों का निराकरण

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को वन विभाग के सर्वेक्षणकर्ता तथा ग्रामसभा और वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर निश्चित किया गया।

सभी अंतर्गत विवाद ग्रामसभा में सुलझाये जाएंगे।

गांव से जुड़े सभी बाहरी विवाद ग्रामसभा में सुलझाये जाएंगे। यदि दो गांव की सीमाओं से संबंधित कोई विवाद उपस्थित होता है तो इसे संबंधीत ग्रामसभाओं की संयुक्त बैठक में सुलझाया जाएगा।

चोरी अथवा हिंसा से संबंधित सभी निर्णय ग्रामसभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक समान रूप से ग्रामसभा करेगी। ग्रामसभा का निर्णय बंधनकारक तथा अंतिम रहेगा।

ऐसे मामले में जब वन या वन की सीमा से संबंधित गांव से बाहरी कोई मामला जो ग्रामसभा में नहीं सुलझ रहा हो, हल निकालने के लिए उपवन संरक्षक (DCF) की ओर भेजा जाएगा। उपवन संरक्षक ग्रामसभा के साथ विचार विमर्श कर इसपर निर्णय लेंगे।

परिशिष्ट 1 : सुक्ष्म नियोजन

MICRO - PLANNING (ABSTRACT)										
Name of Village :- Bichukheda, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati										
S.N.	Micro Net Planning	Area ha.	Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sq.m.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bichukheda (Private land)	35.06	Graded Bonding (G.B.)	35.06 Ha	5784.90	1.05	6074.15	98.28	Cum	596966.97
			Waste Weir (W.V.)	105			105	306.53	Nos	32240.83
			Field Drain (F.D.)		1051.80	0.54	567.97	59.95	Cum	63055.41
			Farm Pond's	2			2.00	100000.00	Nos	200000.00
			Plantation (Fruit)	5.00			5.00	100000.00	Ha	500000.00
			WATS (200 Rmt / Hecor)	5.50	1100.00	1.00	5.50	27290.00	Ha	150095.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	45	427.50	0.75	320.63	235.00	Cum	75346.88
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	35	332.50	1.50	498.75	235.00	Cum	117206.25
			Continuous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 11 to 14%)	3.00	2400	0.36	864.00	159.00	Cum	137376.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	3	16.00		3.00	40000/ Rmt	Nos	1920000.00
			Gabion Structure (G.S.)	15	135.00	1.45	15.00	962/Cum	Nos	188311.50
	Total	35.06								3980598.83
2	Bichukheda (Forest land)	385.830	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	3	12.00		3.00	40000/ Rmt	Nos	1440000.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	14.00		1.00	50000/ Rmt	Nos	700000.00
	207/209		Deeping of Nala	1	400.00	(20x1)	8000.00	40.50/Cum	Nos	324000.00
	210/291		Renovation To Bandh	1	25.00			25000/ Rmt	Nos	625000.00
			WATS (200 Rmt / Hecor)	90	18000.00	1.00	90.00	27290/ Ha.	Hecor	2456100.00
			WATS (400 Rmt / Hecor)	60	24000.00	1.00	60.00	53661/ Ha.	Hecor	3219660.00
			DCTT 634 Rmt / Hecor 10.45 depth	90	57000.00	0.27	90.00	23923/ Ha.	Hecor	2065070.00

2

		Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	60	570.00	0.75	60.00	235/Cum	Nos	100462.50
		Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	45	405.00	1.50	45.00	235/Cum	Nos	142762.50
		Continuous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 1:1 to 1:4%)	4	3200.00	0.36	4.00	159/Cum	Hector	183168.00
		Van-Ponds (20x20x3)	5			5.00	132903/ No	Nos	664515.00
		Percolation Tank	1	40	8cm	40.00	102897/Tcm	Nos	823176.00
		Gabion Structure (G.S.)	75	675.00	1.45	75.00	962/Cum	Nos	941557.50
		Plantation	20.00			20.00	190000	Hector	3800000.00
	Total								17483471.50
	Total								21464070.33
		Contengencies 3%							643922.11
		Labour Facilities 4.7%							1008811.31
		Total							23116803.75
								Say RS	23116800.00

In Words - Rs Two Crore Thirty One Lacs Sixteen Thousand Eight Hundred Only.

MICRO - PLANNING

Name of Village :- Bicchukhedda, Taluka :- Chikhaldera, District :- Amravati

S.N	Micro Net Planning	Details of Area			Classification of Soil & Land						Area Treatment & Planning					
	Beneficiary Name	Gat. No	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses	Proposed Work	Length	Section	Quantity	Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Chotelai Gannu & Others	96	2.59							Graded Bonding (G.B.)	427.35	1.05	448.72	98.28	44099.96	
2										Waste Weir (W.V.)	8		8	306.53	2381.74	
										Field Drain (F.D.)	77.70	0.54	41.96	59.95	4658.12	
1	Total										1.00				51139.81	
2	Chaityu Mangal	75	0.66							Graded Bonding (G.B.)	108.90	2.00	217.80	98.28	21405.38	
3										Waste Weir (W.V.)	2	1.00	2	306.53	606.93	
4										Field Drain (F.D.)	19.80	0.75	14.85	59.95	1187.01	
		82	6.20								0.75				23199.32	
										Graded Bonding (G.B.)		1.05	0.00	98.28	0.00	
										Waste Weir (W.V.)	19		19	306.53	5701.46	
										Field Drain (F.D.)	186.00	0.54	100.44	59.95	11150.70	
	Total														16852.16	
		87	0.32							Graded Bonding (G.B.)	52.80	1.05	55.44	98.28	5448.64	
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	294.27	
										Field Drain (F.D.)	9.60	0.54	5.18	59.95	575.52	
	Total														6318.43	
3	Dalsu Rayising & Others	101	0.60							Graded Bonding (G.B.)	99.00	1.05	103.95	98.28	10216.21	
										Waste Weir (W.V.)	2		2	306.53	551.75	
										Field Drain (F.D.)	18.00	0.54	9.72	59.95	1079.10	
	Total														11847.06	
		98	0.93							Graded Bonding (G.B.)	157.45	1.05	161.72	98.28	15835.12	

[illegible]

[illegible]

Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1342.60
Field Drain (F.D.)	43.80	0.54	23.65	59.95	2625.81
					2887.85
Graded Bonding (G.B.)	290.40	1.05	304.92	98.28	29967.54
Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1613.48
Field Drain (F.D.)	52.80	0.54	28.51	59.95	3165.36
					34751.38
Graded Bonding (G.B.)	132.00	1.05	138.60	98.28	13621.61
Waste Weir (W.V.)	2		2	306.53	735.67
Field Drain (F.D.)	24.00	0.54	12.96	59.95	1433.50
					15759.08
Graded Bonding (G.B.)	5784.90	1.05	6074.15	98.28	59696.97
Waste Weir (W.V.)	105		105	306.53	32240.83
Field Drain (F.D.)	1051.80	0.54	567.97	59.95	63055.41
					692263.2
Plantation (Fruits)	5.00	Hector		100000.00	500000.0

MICRO - PLANNING

Name of Village :- Bicchukhedda, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

S.No	Micro Net Planning	Details of Area			Classification of Soil & Land						Area Treatment & Planning			
	Beneficiary Name	Cat. No	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses & Capability	Proposed Work	Length	Quantity	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Nagay Ramasu Bhusum	96/1	2.59							Farm Pond's	20 x 20 x 3 m.	1	100000.00	
2	Nana Purkha Sawalkar	93	1.46							Farm Pond's	20 x 20 x 3 m.	1	100000.00	
	Total		4.05									2	200000.00	
1	Bisram Bhurya	79	3.36							WAT's	200 Rmt/Ha.	1.00	27290.00	
2	Chaityu Mangal	82	6.20							WAT's	200 Rmt/Ha.	2.00	54580.00	
3	Choteal Gann & Others	96	2.59							WAT's	200 Rmt/Ha.	1.00	27290.00	
4	Ramaji Soma	103	1.36							WAT's	200 Rmt/Ha.	0.75	20467.50	
5	Bhura Purkha Sawalkar	93	1.46							WAT's	200 Rmt/Ha.	0.75	20467.50	
	Total		14.97									5.50	150095.0	

MICRO - PLANNING

Information of proposed work on the forest land

Name of Village :- Bichukheda, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

SN	Micro Net Planning	Details of Area	Classification of Soil & Land							Area Treatment & Planting						
	Comp. No.	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses & Capability	Proposed Work	Length (Mtr.)	Section (Sq.m)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	207/209	385.83							Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	12.00		3.00	40000/Rmt	Nos	1440000.00	
210/291									Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	14.00		1.00	50000/Rmt	Nos	700000.00	
									Renovation To Bandh	25.00		1.00	25000/Rmt	Nos	625000.00	
									Deepning of Nala	400.00	(20x1)	8000.00	40.50/Cum	Nos	324000.00	
									WATS (200 Rmt / Hector)	18000.00	1.00	90.00	27290/ Ha	Hector	2456100.00	
									WATS (400 Rmt / Hector)	24000.00	1.00	60.00	53661/ Ha	Hector	3219660.00	
									DCT (634 Rmt / Hector)	57060.00	0.27	90.00	22923/ Ha	Hector	2063070.00	
									Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	570.00	0.75	60.00	235/Cum	Nos	100462.50	
									Loose Boulder Structure (1.00 Ht)	405.00	1.50	45.00	235/Cum	Nos	142762.50	
									Continuous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 11 to 14%)	3200.00	0.36	4.00	59/Cum	Hector	183168.00	
									Van-Ponds (20x20x3)	5		5.00	132903/No	Nos	664515.00	
									Percolation Tank	40	8Tcm	40.00	102897/Tcm	Nos	823176.00	
									Gabion Structure (G.S.)	675.00	1.45	75.00	962/Cum	Nos	941557.50	
									Plantation			20.00	190000	Hector	3800000.00	
TOTAL										17483471.5						

MICRO - PLANNING (YEARWISE)

Name of Village :- Bicchukheda, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

S.N.	Micro Net Planning	Area ha.	Area Treatment & Planning							
			Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sq.m.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bicchukheda	35.06	Graced Bonding (G.B.)	35.06 Ha	5784.90	1.05	6074.15	98.28	Cum	596966.97
	(Private land)		Waste Weir (W.V.)	105			105	306.53	Nos	32240.83
			Field Drain (F.D.)		1051.80	0.54	567.97	59.95	Cum	63055.41
			Total		6836.70					692263.21

Area Treatment & Planning year- 2

			WATS (200 Rmt / Hecor)	5.50	1100.00	1.00	5.50	27290.00	Ha	150095.00
			Planion	5.00			5.00	100000.00	Ha	500000.00
			Contineous Stone Bonding	3.00	2400	0.36	864.00	159	Cum	137376.00
			(800 mtr/Ha-Slope 11 to 14%)							
			Farpponds (20x20x3mtr)	2			2.00	100000.00	Nos	200000.00
			Total		3500.00					987471.00

Area Treatment & Planning year- 3

			Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	45	427.50	0.75	320.63	235	Cum	75346.88
			Loose Boulder Structure (1.0 Ht)	35	332.50	1.50	498.75	235	Cum	117206.25
			Gabion Structure (G.S.)	15	135.00	1.45	15.00	962/Cum	Nos	188311.50
			Concrete bandhara (1.50 mtr:Ht.)	3	16.00		3.00	40000/ Rmt	Nos	1920000.00
			Total		760.00					2300864.63
			Total	35.060	(1st+Hind+IInd year)	11096.70				3980598.83

Area Treatment & Planning year- 1

2	Bicchukheda	385.830	Deepening of Nala	1	400.00	(2x1)	8000.00	40.50/Gum	Nos	324000.00
	(Forest land)		Renovation to Banich	1000	25.00			25000/ Rmt	Nos	625000.00

207/209	Plantation	15.00		15.00	190000	Hector	2850000.00
210/291	Total						3799000.00

Area Treatment & Planning year-2

	Plantation	5.00		5.00	190000	Hector	950000.00
	DCT (634 Rmt / Hecor) 0.45 depth	90	57060.00	0.27	90.00	22923/ Ha.	Hector 2063070.00
	Continuous Stone Bonding	4	3200.00	0.36	4.00	159/Cum	Hector 183168.00
	(800 mtr/Ha-Slope 11 to 14%)						
	WATS (200 Rmt / Hecor)	90	18000.00	1.00	90.00	27290/ Ha.	Hector 2456100.00
	Percolation Tank	1	40	8Tcm	40.00	102897/Tcm	Nos 823176.00
	Total		78260.00				6475514.00

Area Treatment & Planning year-3

	WATS (400 Rmt / Hecor)	60	24000.00	1.00	60.00	53661/ Ha.	Hector 3219660.00
	Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	60	570.00	0.75	60.00	235/Cum	Nos 100462.50
	Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	45	405.00	1.50	45.00	235/Cum	Nos 142762.50
	Van-Ponds (20x20x3)	5			5.00	132903/ No	Nos 664515.00
	Gabion Structure (G.S)	75	675.00	1.45	75.00	962/Cum	Nos 941557.50
	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	3	12.00		3.00	40000/ Rmt	Nos 1440000.00
	Conc.bandh. MS work(2.00 mtr.Ht.)	1	14.00		1.00	50000/ Rmt	Nos 700000.00
	Total		25650.00				7208957.5
	Total (Forest Land)		103910.00				17483471.5
	Total (Private+Forest)		115006.70				21464070.3
	Total		420.89				643922.11

Contengencies 3%

Labour Facilities 4.7%

Total	23116803.7
Sav Rs	23116800.0

परिशिष्ट 2 : स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम

LOCAL AND BOTANICAL NAMES OF PLANTS

LOCAL NAME	BOTANICAL NAME (trees)	FAMILY
ACHAR	BUCHANANIA LANZAN	ANACARDIACEAE
AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
ALI/AAL/ BARTONADI	MORINDA TINCTORIA	RUBIACEAE
AMALTAS/BAHAWA	CASSIA FISTULA	CAESALPINIACEAE
AM	MANGIFERA INDICA	ANACARDIACEAE
ANJAN	HARDWICKIA BINATE	CAESALPINIACEAE
AMTA	BAUHNIA MALABARICA	CAESALPINIACEAE
ARAN	CASSINE GLAUCA	CELASTRACEAE
APTA/KACHNAR	BAUHNIA RACEMOSA	CAESALPINIACEAE
AONLA	PHYLLANTHUS EMBLICA	EUPHORBIACEAE
ARJUNA/KAHU	TERMINALIA ARJUNA	COMBRETACEAE
BABUL/BABOOL	ACACIA NILOTIA	MIMOSEAE
BAD/WAD	FIGUS BENGALENSIS	MORACEAE
BAKAIN/BAKANEEM	MELIA AZADIRACH	MELIACEAE
BEHEAD	TERMINALIA BELLERICA	COMBRETACEAE
BEL	AEGLE MARMELOS	RUTACEAE
BHIRRA	CHLOROXYLON SWIETENIA	RUTACEAE
BHORAL	HYMENODICTYON EXCESUM	RUBIACEAE
BIBA/BHILAWA	SEMECARPUS ANACARDIUM	ANACARDIACEAE
BIJA	PTEROCARPUS MARSUPIUM	FABACEAE
BISTENDU	DIOSPYROS MONTANA	EBENACEAE
BOR/BER	ZIZYPHUS MAURITIANA	RHAMNACEAE
CHANDAN	SANTALUM ALBUM	SANTALACEAE
CHICHWA	ALBIZZIA ODORATISSIMA	MIMOSEAE
CHINCH,IMLI	TAMARICDUS INDICA	CAESALPIACEAE
DHAK,PALAS	BUTEA MONOSPERMA	LEGUMNOSAE
DHAMAN	GREWIA TILIFORLIA	TILIACEAE
DHAORA/DAHAWADA	ANOGEISSUS LATIFOLIA	CAESALPINIACEAE
DHOBAN/PHANSI	DALBERGIA PANICULAT	FABACEAE
GHOTI/GHOT	ZIZYPHUS GLABERRIMA	RHAMNACEAE
HALDU	ADINA CORDIFOLIA	RUBIACEAE
HIWAR	ACACIA LEUCOPHLOEA	MIMOSEAE
HIRDA/HARRA	TERMINALIA CHEBULA	COMBRETACEAE
JAMBHUL/JAMUN	SYZIGIUM CUMINI	MYRTACEAE
KALAM/MUNDI	MITRAGYNA PARVIFLORA	RUBIACEAE
KARANJ	PONGALIA PINNATA	FABACEAE
KARU(CASSIA)	CASSIA SIAMEA	CAESALPINIACEAE
KHAIR	ACACIA CATECHU	MIMOSEAE
KUDA	HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA	APOCY NACEAE
KUSUM	SCHELEICHERA OLEOSA	SAPINDACEAE
KUTU	STERCUTIA URENS	STERCULIACEAE
LASORA,GONDON	CORDIA MYXA	BORAGINACEAE

LENDIA/LENDIA/SCHENA/ASAH	LAGERSTROEMIA PARVIFLORA	LYTHRACEAE
LOKHANDI	LXORA ARBOREA	RUBIACEAE
MEDSING	DOLICHANDRONE FALCATA	BIGNONIACEAE
MOHA/MAHUWA	MADHUCA LONGIFOLIA	SAPOTACEAE
MOKHA	SCHREBERA SWIETENOIDES	ARISTOLOCHIACEAE
MOYEN/MOWAI	LANNEA COROMANDELICA	ANACARDIACEAE
NEEM	AZADIRACHTA INDICA	MELIACEAE
PANJARA	ERYTHRINA SUBEROSA	LEGUMINOSAE
PIPAL	FICUS RELIGIOSA	MORACEAE
ROHAN	SOYMIDA FEBRIFUGA	MELIACEAE
SAG/SAGWAN/TEAK	TECTONA GRANDIS	VERBENACEAE
SAJA/AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
SALAI	BOSWELLIA SERRATE	BURSERACEAE
SATKUDA/WHITE KUDA	HOLARRHENA PUBESCENS	APOCYNACEAE
SEMAL(BORGU)	BOMBAX CEIBA	BOMBACEAE
SHIWAN/SIWAN	GMELINA ARBOREA	VERBENACEAE
SIRUS(BLACK)	ALBIZZIA LEBBEK	MIMOSEAE
SIRUS(WHITE)	ALBIZZIA PROCERA	MIMOSEAE
SISSOO	DALBERGIA SISSOO	FABACEAE
SITAPHAL	ANNONA SQUAMOSA	ANNONACEAE
TENDU	DIOSPYROS MELANOXYOON	EBENACEAE
TINSA	OUGENIA OOJEINENSIS	FABACEAE
TIWAS	OUGENIA DALBERGIOIDES	LEGUMINOSAE
THUAR	EUPHORBIA NERIIFOLIA	EUPHORBIACEAE
UMBAR	FICUS RACEMOSA	MORACEAE
WARANG/BARANGA	KYDIA CALYCINA	MALVACEAE

B.SHRUBS

BHANDARA	COLEBROOKIA OPPOSITIFOLIA	LABIATAE
BHARATI	GYMNOSPORIA SPINOSA	CELASTRACEAE
CHILLARI	MIMOSA RUICAILIS	MIMOSEAE
CHILLATI	CAESALPINIA SEPIARIA	CAESALPINIACEAE
DUDHI/KALAKUDA	WRIGHTIA TINCTORIA	APOCYNACEAE
DHAVATI	WOODFORDIA FLORIBUNDA	LYTHRACEAE
KARI KORANDO	CARRISSA SPINARIUM	APOCYNACEAE
KORAT	BARLERIA PRIONITIS	ACANTHACEAE
KUNDA,INDRAJAV	HOLARRHENA ANTIDYSENETERICA	APOCYNACEAE
MURADSHENG/MARORPHAL	HELICTERES ISORA	STERCULIACEAE
NIRGUDI	VITEX NEGUNDO	VERBENACEAE
SINDHI/CHHINDI	PHOENIX SYLVESTRIS	ARECACEAE(PALMACEAE)
TARWAR	CASSIA AURICULATA	CAESALPINACEAE
WAGHOTI	CAPPARIS HORRIDA	CAPPARIDACEAE

C.HERBS

DIVALI	TEPHROSIA HAMILTONII	FABACEAE
GAJARGAWAT	PARTHMIUM HYSTEROPHORUS	ASTRACEAE
GOKRU	TRIBULUS TERRESTRIS	ZYGOPHYLLACEAE
HAMATE	STYLOSANTHES HAMATA	CAESALPINIACEAE
PIVLA DHOTRA	ARGEMONE MEXICANA	PAPAVERACEAE
PIVILI TILWAN	CLEOME VISCOSA	CLEOPACEAE
RANTULSI/BANTULSI	HYPTIS SUAVEOLENS	LAMIACEAE
RANTUR	ATYLOSIA SCARABAEOIDES	FABACEAE
SCABRA	STYLOSANTHES SCABRA	CAESALPINIACEAE
TAROTA	CASSIA TORA	CAESALPINIACEAE

D. GRASSES AND BAMBOOS

BANS/BAMBOO	DENDROCALAMUS STRICTUS	POACEAE
BHURBHUSI	ERAGROSTIS TENELLA	POACEAE
DUSWA/HARYALLI/DOOB	CYNODON DACTYLON	POACEAE
DONGRI GAVAT	CHRYSOPOGON MONTANA	POACEAE
GUHAR,MARWEL	ANDROPAGON ANNULATUS	POACEAE
KANS	SACCHARUM SPONNEUM	POACEAE
KHAS	VETIVERIA ZIZANIOIDES	POACEAE
KODMOR	APLUDA VARIA	POACEAE
KUNDA	ISCHOEMUM PILOSUM	POACEAE
KUSAL	HETEROPOGON CONTORTUS	POACEAE
MUSHAN	ISEILEMA LAXUM	POACEAE
PAONIA	SEHIMA SULCATUM	
SABAI OR SUM	ISCHAEMUM ANGUSTIFOLIUM	POACEAE
SHEDA	SEHIMA NERVOSUM	POACEAE
TIKHADI/RUSA/ROSHA	CYMBOPOGON MARTINI	POACEAE

E.CLIMBERS

BHUIKAND/BAICHEND	DIOSCOREA DAEMONA	DIOSCORIACEAE
CHILATI	ACACIA PINNATA	MIMOSEAE
ERUNI	ZIZYPHUS OENOPLIA	RHAMNACEAE
GUNCHI/GUNJ	ABRUS PRECATORIUS	PAPILIONACEAE
KAJKURI	MUCUNA PRURIENS	FABACEAE
MAHULBEL/MAHUL	BAUHINIA VAHLII	CAESALPINIACEAE
PALASVEL	BUTEA SUPERBA	FABACEAE
PIWARVEL	COMBRETUM OVALIFOLIUM	COMBRETACEAE
SHATOVA/SATAWARI	ASPARAGUS RACEMOSUS	LILLIACEAE
KAWAVEL,NAGBEL	CRYPTOLEPIS BUCHANANI	ASCLEPIADACEAE

**COMMON AND ZOOLOGICAL NAMES OF THE ANIMALS AND BIRDS COMMONLY FOUND IN AMRAVATI
DIVISION**

LIST OF ANIMALS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
PANTHER, BIBTYA	PANTHER PARDUS
STRIPED HYENA, TADAS	HYAENA HYAENA
JANGALI KUTRA, WILD DOG	CUON ALPINUS
JACKAL, KOLH	CANIS AUREUS
INDIAN FOX, LOMAD	VULPES BENGALENSIS
JUNGLE CAT, RAN MANJAR	FELIS CHAUS
BLACK BUCK, KALWIT	ANTILOPE CERVICAPRA
CHEETAL, SPOTTED DEER	AXIS AXIS
BHEKAD, BARKIN DEER	MUNTIACUS URSINUS
NILGAI, BLUE BULL	BOSELAPHUS TRAGOCENMELUS
SLOTH BEAR, ASWAL	MELURSUS URSINUS
COMMON LANGUR	PRESBYTIS ENTELLUS
PORCUPINE, SAYAL, SALU	HYSTRIX INDICA
HARE, SASA	LEPUS NIGRICOLLIS
SAMBAR	CERVUS UNICOLOUR
WILD BOAR, RAN DUKAR	SUS SCROFA

LIST OF BIRDS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
POND HERON OR PADDY BIRD	ARDEOLA GRAYJI
CATTLE EGRET	BUBULCUS IBIS
WHITE BREASTED WATERHEN	AMAUROORNIS PHOENICURUS
GREY PARTRIDGE	FRANCOLINUS PONDICERIANUS
JUNGLE BUSH QUAIL	PERDICULA ASIATICA
YELLOW WATTLED LAPWING	VANELLUS MALABARICUS
ROSE ROMGED PARAKEET	PSITTACULA KRAMERI
BLOSSON HEADED PARAKEET	PSITTACULA CYANOCEPHALA
ALEXANDRINE PARAKEET	PSITTACULA EUPATRIA
KOEL	EUDYNAMYS SCOLOPACEA
CROW PGEASABT(COUCAL)	CENTROPUS SICENSIS
SPOTTED OWKET	ATHENE BRAMA
COMMON INDIAN NIGHT JAR	CAPRIMULGUS ASIATICUS
WHITE BREASTED KINGFISHER	HALCYON SMYRENESES
COMMON KINGFISHER	ALCEDO ATTHIS
GREEN BEE EATER	MEROPS ORIENTALIS
HOPOE	UPUPA EPOPS
INDIAN ROLLER	CORACIAS BENGALENSIS
GOLDEN BACKED WOOD PECKER	DINOPIUM BENGHALENSIS
RUFIOUS BACKED SHRIKE	LANIUS SCHACK

GOLDEN ORIOLE	ORIOLEUS RIOLUS
BLACK DRONGO	DICURUS ADSIMILLIS
BRAHMINY MYNA	STURNUS PAGODARUM
COMMON MYNA	ACRIDOTHERES TRISTIS
HOUSE CROW	CORVUS SPLENDENS
JUNGLE CROW	CORVUS MACORTHYNCHOS
SMALL MINIVET	PERICROCOTUS CINNAMONEUS
COMMON LORA	AEGITHINA TIPHA
RED VENTED BULBUL	MYCNONQUS CAFER
COMMON BABBLER	TURDOIDES CAUDATUS
WHITE THROATED FANTAIL FLYCATCHER	RHIPIDURA ALBICOLLIS
PARADISE FLYCATCHER	TERPSIPHONIA PARADISI
MAGPIE ROBIN	COPSYCHUS SAULARIS
INDIAN ROBIN	SAXICOLAIDES FULICATA
GRAY WAGTAIL	MOTACILLA CINEREA
PIED OR WHITE WAGTAIL	MOTACILLA ALBO
GREY TIT	PARUS MAJOR
PURPLE SUNBIRD	NECTARINIA ASIATICA
HOUSE SPARROW	PASSER DOMESTICUS

ENDANGERED WILDLIFE

PANTHER	PANTHER PARDUS
SLOTH BEAR	MELURSUS URSINUS
PEACOCK	PAVO CRISTATUS

परिशिष्ट 3 : ग्रामसभा की नोटीस तथा ठाव

ग्रामसभेची सूचना

सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती [4 (1-e)]

गाव ग्रामसभा : विश्वरवेडा

गट ग्रामपंचायत : खडीमल

तहसिल : धोखलदरा

जिल्हा : अमरावती

प्रति,

मा.

विषय - वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामूहिक वन अधिकार क्षेत्राच्या नियोजन व व्यवस्थापन आराखड्याला अंतीम मान्यता देण्याबाबत.

मा. महोदय,

आपणास माहितच आहे की... विश्वरवेडा... गावाचे सामूहिक वन हक्क अधिकार मान्य झालेले आहे. वन हक्क कायद्याच्या कलम ५ अनुसार सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती, गाव समुदाय आणि 'खोज' संस्थेच्या तांत्रिक सहकायाने वन नियोजन व प्रबंधन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सदर आराखडा हा वन विभागाच्या कार्य आयोजनेचा भाग म्हणून जोडला जाईल. सदर नियोजनाची मांडणी चर्चा होवून अंतीम स्वरूपात मान्यता या ग्रामसभेत होणार आहे. त्यात आपली मोलाच्या सूचना मिळव्यात याकरीता आपली उपस्थिती महत्वाची आहे. सदर ग्रामसभा बैठक गाव विश्वरवेडा येथे ग्रा.सो.ह.का. १६/०५/१८ ठिकाणी दिनांक २७/०५/१८ रोजी ११:०० वाजता आयोजित करण्यात येत आहे.

कृपया, सदर ग्रामसभेत आपण उपस्थित राहून सदर व्यवस्थापन आराखडा अधिक उत्तम स्वरूपात बनविण्यात येण्याकरीता उपयुक्त सूचना व मते मांडवित ही नम्र अपेक्षा.

सधन्यवाद

o/c

दिनांक : १६/०५/१८

अध्यक्ष
अध्यक्ष विश्वासू
ग्राम सभा विश्वरवेडा
अध्यक्ष/सचिव

सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती... विश्वरवेडा

प्रतिलिपी :

१. मा. वनरक्षक/वनपाल गुलशखी
२. मा. कृषि पर्यवेक्षक ...
३. मा. पशु वैद्यकीय अधिकारी ...
४. मा. अभियंता लघु सिंचन ...
५. मा. विशेष कार्यक्रम अधिकारी म.ग्रा.सो.ह.का. योजना ...
६. मा. लागवड अधिकारी, सामाजिक वनिकरण ...
७. मा. वन परिक्षेत्र अधिकारी, कार्यालय ...
८. मा. संचालक 'खोज' संस्था कार्यालय गौरखेडा कुंभी
९. मा. सरपंच/सचिव गट ग्रामपंचायत कार्यालय खडीमल

...
पि कार्स्टेकर
ग्रामपंचायत खडीमल

16-5-18

15

यशवंत भवन, मु.पो. गौरखेडा कुंभी,
तह. अचलपूर, जि. अमरावती-४४४८०६

खोज (KHOJ)

...
तालुका कृषि अधिकारी
विश्वरवेडा

...
गट ग्रामपंचायत
खडीमल

ग्रामसभा :- ठराव

गान :- चिच्छुबडा

Date
Page No.

ग्रामसभा :- चिच्छुबडा

गट ग्रा.प. स्वडिमाल

वडासिल :- चिखबहरा

जिला :- ठामरावली,

दि. २६/०५/२०१८

आज दि. २६/०५/१८ समय शाम ६.०० बजे
ठाव चिच्छुबडा की ग्रामसभा बैठक का आयोजन
श्री. शंकर बिसराम खेहरा इन की
अध्यक्षता में किया गया इस ग्रामसभा में वन
मन्त्रिगत गांव २००६ के पहलु, मापन संयुक्तिक नंग
अधिकार क्षेत्र का वन संवर्धन, सुरक्षा संबंधी
नियोजन एवं सुवर्धन प्रस्ताव का वाचन कर
उपयुक्त सुचना एवं सुझावों को जोड़कर भोलीम
३५ में सर्व सहमती से मंजूरी दी गई। जिसके
अनुसार :-

- क) ग्रामसभा चिच्छुबडा द्वारा घोषित किया जाता
है कि, साथ जोडा गया वन नियोजन एवं सुवर्धन
प्रस्ताव का मसौदा पूरी चर्चा कर भाज से
१० वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाता है।
- ख) यह भी घोषित किया जाता है कि, साथ जोडा
ग्राम नियोजन एवं सुवर्धन नियोजन मसौदा / - गलु
मसौदा (management plan/micro plan) working plan
इस से निम्न अनुसार सुसंबंध राहगा।
- १) साथ का वन नियोजन एवं सुवर्धन प्रस्ताव की

मसौदा इससे कबो वन विभाग का वन प्रबंधन
मसौदा / सुझाव नियोजन मसौदा / चालु मसौदा
(कार्य कार्यक्रम) प्रगति में अंतर्भूत रहेगा।

ग) वनविभाग का प्रबंधन मसौदा / सुझाव नियोजन मसौदा गांव का सांश्रुति
वन नियोजन एवं प्रबंधन मसौदा आदि में दानवी प्रबंधनों के
अनुसार सुझाव न हो ऐसा भाग वन विभाग के सहकर्म से विभाजित
किया जायेगा।

ग) ग्राम सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति, (अथवा ग्रामपंच, ग्राम
पंचायत) इन्होंने इस मसौदा की प्रति प्रतिक्रिया जिया वन खेराड के
भेडमे बाबद सुचित किया जाता है।

घ) यह भी घोषित किया जाता है कि, यह ग्रामसभा नव जदरी समझौती
नव इस प्रबंधन मसौदा में सुधार करने साथ ही वन विभाग के सुझाव
चालु प्रबंधन मसौदा के साथ सुधार करने बाबद हक आपने पास
रखती है।

च) इसके बाद यह भी घोषित किया जाता है कि, कोई भी इस सांश्रुति
वन अधिकार क्षेत्र में प्रबंधन वृद्ध रोपण, वृक्षतोड तथा वनों का
पुनर्निर्माण जैसे उपलब्ध इस ग्रामसभा की पूर्व सुचित आरमाति
के बिना कर नहीं सकेंगे। ठराव सर्व सम्माली से मंजूर
दिनांक:-

- | | |
|---|--------------------|
| | नाम ग्रामसभा सदस्य |
| १ | झोंगरे वेठकर |
| २ | नावा सावलकर |
| ३ | किशोर सावलकर |
| ४ | किसन वेठकर |
| ५ | बाबु वेठकर |
| ६ | उत्तम भूसुम |

सही / झोंगरे
झोंगरे
नावा
किशोर
किसन
बाबु
उत्तम

		Date
		Page No.
6)	संतोष सावलकर	संतोष
7)	नंदराम जामुनकर	नंदराम
8)	संजु सावलकर	संजु
9)	अरुण सावलकर	अरुण
10)	लाललाल सावलकर	लाललाल
11)	मनिराम जामुनकर	मनिराम
12)	हिरा जामुनकर	हिरा
13)	सोनाजी जामुनकर	सोनाजी
14)	संजुलाल जामुनकर	संजुलाल
15)	हिरा जामुनकर	हिरा
16)	रामु वेठकर	रामु
17)	केलास वेठकर	केलास
18)	रामेश धुर्वे	रामेश
19)	रवि भुसूम	रवि
20)	अशोक भुसूम	अशोक
21)	किशोर वेठकर	किशोर
22)	हरि वेठकर	हरि
23)	हिरालाल वेठकर	हिरालाल
24)	रामाजी वेठकर	रामाजी
25)	सुनिल उईके	सुनिल
26)	सुपरसिंग स्वने	सुपरसिंग
27)	रंजि धुर्वे	रंजि
28)	सुरेश धुर्वे	सुरेश
29)	वानु वेठकर	वानु
30)	पिळ्ळु स्वने	पिळ्ळु

32	गणेश धूर्त	गणेश
33	रंग परत	रंग
34	शानु काकड	शानु
35	श्यानी सनवार अलोक	श्यानी
36	सुखदेव सनवार	सुखदेव
37	दशसिंग परत	विनोद
38	विनाद परत	विनोद
39	दिनेश परत	दिनेश
40	मधु श्वके	मधु
41	कजु श्वके	कजु
42	वाजु श्वके	वाजु
43	दालसु धूर्त	दालसु
44	भारत धूर्त	भारत
45	राहु धूर्त	राहु
46	आनिल उईके	उपनिषा
47	साबुलाल दहीकार	साबुलाल
48	नानु सुयम	नानु
49	संजु उईके	संजु
50	जिवतु उईके	जितान
51	राजु उईके	राजु
52	बाबु परत	बाबु
53	धनसिंग उईके	धनसिंग
54	मंगेश उईके	मंगेश
55	मनसिंग उईके	मनसिंग
56	मदन गामुबकर	मदन

५०	सुखेश जाम्नेकर	सुखेश
५१	वसंतराव उडके	वसंतराव
५२	सुखेश सावळकर	सुखेश
६०	राहुळ सुभूम	राहुळ
६१	राजेश खेव	राजेश
६२	रामदास उडके	रामदास
६३	संतोष येवले	संतोष संतोष
६४	रांगे वेवकर	रांगे
६५	चक्रसिंग	चक्रसिंग
६६	लक्ष्मण इन्ने	लक्ष्मण

परिशिष्ट 4 : संक्षिप्त

१. FRA - वनअधिकार कानून.
२. CFR - सामुहिक वन अधिकार.
३. JFM - संयुक्त वन व्यवस्थापन.
४. DCF - उपवन संरक्षक.
५. CCF - मुख्यवन संरक्षक.
६. CEO - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
७. PO - प्रकल्प अधिकारी (आदिवासी विकास विभाग).
८. ATC - अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त.
९. PS - प्रधान सचिव.
१०. ४ (१) ई समिती - गाव की, वन प्रबंधन, नियोजन तथा जैव विविधता समिती.
११. Ha - हेक्टर.
१२. MFP - गौण वन उपज.
१३. NTFP - गैर काष्ठ वन उपज.
१४. WAT - जल शोषक चर.
१५. CCT - समतल सलग चर.
१६. DCT - खंडीत सलग चर.
१७. LBS - दगडी बांध
१८. GS - जाली के बंधारे
१९. CSB - समलग पत्थर बांध
२०. GB - खेती का धुरा बांध
२१. WV - पानी जाने की नाली
२२. FD - सांडवा
२३. Rmt - रनींग मिटर